अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)

क्र–अ.वि.वि.नि.लि / मु. अ. (वा.) / अ.अ.(वा.) / फा. 57 (ई) / 2008 / प्रे 6022 दिनांक 02/02/2008

शुद्धि – पत्र

विषय – ''विधुत अधिनियम – 2003'' में निहित प्रावधानानुसार प्रशमन राशि (Compounding charges) एव सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की गणना कर नोटिस जारी करने के प्रपत्र (Format) में संशोधन।

उपरोक्त विषय में निगम द्वारा आदेश क्रमांक अ.वि.वि.नि.लि. / मु.अ.(वा) / अ.अ. (वा) / फा.57(डी / 2007 / प्रे.5373 दि० 11.12.07 (Comml. AJ-326) जारी किया गया था। इस आदेश के साथ प्रथन बार बिजली चोरी का अपराध प्रशमन (Compoundable) योग्य होने के कारण उस अपराध की कम्पाउण्डिंग हेतु उस व्यक्ति को दिये जाने वाले नोटिस का संशोधित प्रपत्र (Proforma), भी प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त संशोधित प्रपत्र (Proforma) माननीय विशिष्ठ न्यायालय (Special Courts) द्वारा अभी भी अधूरा माना जाकर उनके द्वारा सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की राशि का निर्धारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें निहित शब्द ''जुर्माना'' को सही नहीं माना है।

उपरोक्त संदर्भ में पुनः विचार विमर्श करके उक्त प्रपत्र (Porforma) में फिर से संशोधन कर संशोधित प्रपत्र अनुलग्नक – 1 के अनुसार जारी किया जाता है। ''जुर्माना'' शब्द को ''प्रशमन (Compounding)'' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। भविष्य में इसी संशोधित प्रपत्र (Proforma) में नोटिस जारी किये जावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इस नोटिस में प्रशमन (Compounding) राशि के अलावा सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की राशि भी अंकित कर दी गई है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।
(अनुलग्नक – 1)

(पी.के. बोगावत)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निर्देशक (वित) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि..एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर / अजमेर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, झुनझुनु।
4. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स / प्लान / एमएम),) अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, ... को .... अतिरिक्त प्रतिलिपियॉ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
9. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. अधिशाषी अभियन्ता ( ), अजमेर डिस्कॉम ....।
11. वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( ), अजमेर डिस्कॉम ....।
12. जन सम्पर्क अधिकारी , अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक, जयपुर डिस्कॉम / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / जोधपुर।

(यू.एस. तारोडिया)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

वाणिज्य–अज. – 33०
अनुलग्नक – 1

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय जांच अधिकारी

क्र–अजमेर डिस्कॉम / स. अ. / सतर्कता / एफ. / प्रे. दिनांक

नोटिस

प्रेषित,

श्री	पुत्र श्री	
ग्राम	तहसील / जिला	पुलिस थाना
खाता संख्या	वीसीआर नं	दिनांक
श्रेणी	सम्बद्ध भार	स्वीकृत भार

नाम जांच अधिकारी सहायक अभियंता / सतर्कता, अ.वि.वि.नि.लि., ... ।

आपके .... स्थित कृषि / घरेलू / औधोगिक / व्यवसायिक परिसर में दिं० .... को सर्तकता जांच करने पर आपके द्वारा विधुत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निम्नांकित अपराध करना पाया गया :–

1. बिना वैध कनेक्शन के विधुत का अनाधिकृत उपभोग
2. मीटर के छेड़छाड़ कर अनाधिकृत उपभोग
3. मीटर / केबिल / ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ व उसको नुकसान पहुंचाकर मीटरिंग को बाधित करना
4. अन्य।

इस संबंध में सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या .... दिनांक .... तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

आपको इस नोटिस के माध्यम से आगाह किया जाता है कि विधुत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अंतर्गत आपको, प्रथम अपराध के लिए, प्रशमन का अधिकार प्राप्त है, आप चाहें तो उक्त अपराध का प्रशमन कराने के लिए रू० .... प्रशमन (Compounding) राशि सात दिवस के भीतर सहायक अभियंता ( ), अ.वि.वि.नि.लि .... के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं अन्यथा आपके विरूद्ध सिविल लाइबिलिटि की राशि रूपये .... वसूल करने के लिए विशेष न्यायालय, विधुत अपराध के माध्यम से नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जांच अधिकारी
(सतर्कता अधिकारी)

प्रतिलिपि :–

1. सहायक अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि. ....

जांच अधिकारी